

आलय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)


पार्थना पत्र सं. 15/18	धारा अंतर्गत 212 RTA	ग्राम दुबडा	तहसील दुबडा
वादी नियुक्त	वाद शीर्षक बनाम	प्रतिवादी शिवर माई वर्मा	

वकील :- हेम-त पारिक **आदेश पत्रक** वकील :-


दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
26/12/18	<p>वकील वर्मा द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध प्रतिवादी वर्मा के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सारिस्ता का अवलोकन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार कर जर्ज सम्मान... प्रतिवादी वर्मा तलब कर प्रकरण दिनांक 31/12/18 को पेश से।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)</p>	<p>5/2019 13/5/19</p>
31/12/18	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वर्मा उपस्थित। प्रतिवादी वर्मा को ओर से श्री अश्विनेश शर्मा एडवोकेट एवं श्री राकेश सोनी एडवोकेट का बमालत नाम पेश हुआ जो शांति किया गया। वहाँ अतिमात्र उभय पक्ष करार सुनी गई। तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विवादित भूमि आरानी ग्राम दुबडा के ताल में स्थित भूमि रक. नं 294, 295, 296, 297, 298, 301, 305 कुल रकित 0.15 0.03 1.00 0.18 3.19 3.13 2.14 7 रकवा 13.12 बीघा भूमि पर अप्रार्थी वर्मा को मौका एवं रिवाइड को यथास्थिति बनाने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा से धाकद किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि उक्त विवादित भूमि पर न तो खंय रहन, बे-जत न निर्माण आदि न भौं और न ही अपने प्रतिनिधियों से कराने। पत्रावली मूल नद के खत दिनांक 08/01/2019 को पेश है।</p>	
10/01/19	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रतिवादी को मेरसे प्रतिवादी क. ल. 1 से 8 को ओर से पत्राव एवं शकता को का शपथपत्र पेश किया जो शांति किया प्रतिवादी क. ल. 9 ता 12 के पत्राव हेतु वरुण शकता पत्रावली दिनांक 21/01/19 को पेश है।</p>	

9/22


आज पीठासीन अधिकारी के ^{अन्य कार्य} में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ... 1.11.22 ... को पेश हो।


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

15/22


पत्रावली पेश हुई। वकूलाए करीबेन उपस्थित। बहस नहीं हो सकी है। प्रमाण चाहते हैं। पत्रावली वाले बहस दिनांक 03/01/2023 को पेश हो। 

03/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए करीबेन उपस्थित। बहस नहीं हो सकी है। प्रमाण चाहते हैं। पत्रावली वाले बहस दिनांक 11/2/23 को पेश हो। 

7/23

आज पीठासीन अधिकारी के ^{स्थानान्तरण} में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक ... 4/4/23 ... को पेश हो।


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा),

4/23

पत्रावली पेश हुई। वकूलाए करीबेन उपस्थित। वकील प्रार्थना द्वारा अग्रज बयान कि वादपत्र आगे चलाना नहीं चाहते हैं। बहस करना नहीं चाहते। प्रमाण को अदालत द्वारा अदालत पेश की रकॉर्ड किया जाता है। पत्रावली प्रेषित शुभ। हाकर कारिले दफतर है। 